

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ.2/ग्रा.प.स./17 दिनांक- 21.03.18

समस्त उपनिदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा

अति-आवश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा


विषय-ग्राम पंचायत सहायकों के चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में
चयन हेतु तिथि निर्धारण कर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने बाबत।
प्रसंग-उपशासन सचिव, प्राशि, जयपुर के पत्रांक: प.15(1)प्राशि/2017
दिनांक: 16.03.18 एवं 24.12.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में चयन हेतु दिनांक 24.12.17 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.17 एवं 28.12.17 के माध्यम से आपको निर्देशित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा दि. 16.03.18 को जारी पत्र के अनुसार अपूर्ण रही ग्राम पंचायत सहायक के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

क.सं.	संपादित की जाने वाली कार्यवाही	कार्य संपादन का दिनांक
1.	चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु जिला स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापित का प्रकाशन कर संबंधित विद्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	22.03.18
2.	आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित दस्तावेज संबंधित SDMC की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष (पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान) अथवा उसके द्वारा नामित SDMC के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करना।	22.03.18
3.	ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर आवेदकों के साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन की प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण किया जाना एवं चयनित आवेदकों की सूची समस्त दस्तावेजात उसी दिन शील्ड लिफाफों में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सुपुर्द करना।	23.03.18
4.	पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त चयनित आवेदकों के प्रस्ताव एवं समस्त दस्तावेज, आवेदन आदि को ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदित करवायी जाने की अनुशंसा हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।	23.03.18
5.	ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों की अनुशंसा हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित कर उसी दिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्तुत करना।	23.03.18
6.	जिला स्तरीय समिति से प्राप्त अनुशंसित सूची का अनुमोदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जाकर अनुमोदित सूची को जिला शिक्षा अधिकारी/पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध कराना।	23.03.18


7.	ग्राम सेवक एवं पंदेन सचिव द्वारा पंचायतीराज विभाग के परिपत्र क्रमांक- एफ.4()एमटीडब्ल्यू/विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.17 के अनुसार औपचारिक आदेश जारी करना।	23.03.18
----	--	----------

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उप शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रासांगिक पत्रों के संबंध में।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।


निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।